यायालय उप समाहर्ता भूमि सुधार, रंका।

राजस्व विविध वाद सं0– 07 / 2019–20

शीला देवी बनाम् विश्वनाथ चौधरी वगैरह

दिनांक	पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश	अभ्युक्ति
05.05.25	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका शीला देवी पति– भुखन कोरवा ग्राम– राजबॉस, थाना– चिनियॉ, जिला– गढ़वा द्वारा भूमि पर निर्माण कार्य एवं अवैध हस्तांतरण करने हेतु आवेदन पत्र दायर किया गया है। उक्त वाद में अपीलार्थी की ओर से लिखित जवाब दाखिल करते हुए बताया है कि प्रश्नगत भूमि प्रथम पक्ष की खतियानी रैयती भूमि है तथा हाल सर्वे में प्रथम पक्ष के दादा ससुर रूपन कोरवा के नाम से खतियान तैयार हुआ है। प्रश्नगत भूमि का जमाबंदी जमींदारी उन्मुलन के बाद प्रथम पक्ष के दादा ससुर रूपन कोरवा के नाम से कायम हुआ जिसका मांग पंजी II के पेज नं0– 94 पर रूपन कोरवा के नाम पर चलता है तथा राजस्व रसीद भी वर्ष 2019–20 तक लगातार कटता है। प्रश्नगत भूमि पर रूपन कोरवा के मरनों उपरांत उनके दो पुत्र 1. बद्री कोरवा 2. मुनु कोरवा शांतिपूर्ण हक दखल कब्जा में आये तथा बद्री कोरवा के मरनोपरांत उनके हक हिस्से की भूमि पर प्रथम पक्ष के पति भूखन कोरवा एवं उसके भाई प्रतान कोरवा और भूली कोरवा शांतिपूर्ण हक दखल कब्जा में आये तथा विपक्षीगण का प्रश्नगत भूमि से कभी किसी प्रकार कोई सरोकार था और न ही वर्तमान में है। विपक्षीगण प्रथम पक्ष के प्रश्नगत भूमि को लुटने के लिए तथा उसे प्रश्नगत भूमि से बेदखल करने के लिए विभिन्न तरह के अवैध षडयंत्र अपना रहा है। प्रथम पक्ष अनुसूचित जनजाति की महिला है जो काफी सरल स्वभाव की है जबकि द्वितीय पक्ष के सदस्यगण प्रभावशाली व्यक्ति है जो अपने असन्य प्रभाव एवं बल के आधार पर प्रथम पक्ष के प्रश्नगत भूमि को लुटकर उसे उसके भूमि से बेदखल करने पर आमदा है। उक्त वाद में द्वितीय पक्ष की ओर से लिखित जवाब देकर	

बपरी कोरवा को बाप बनाकर जमीन हड़पने का षडयंत्र रचा है। जिसके प्रमाण में द्वितीय पक्ष ने विविध वाद सं0– 93/2019 में भूखन कोरवा का मतदाता सूचि दाखिल किया जिससे स्पष्ट होता है कि भूखन कोरवा का पिता रामकिशुन कोरवा है न की बपरी कोरवा है। इसका आधार कार्ड जिसका सं0– 2196 886 7065 है में भी पिता का नाम रामकिशुन कोरवा अंकित है। जो उसका बाप कौन है स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त है। इस वाद का प्रथम पक्ष शीला देवी है जो भूखन कोरवा की पत्नी है। पति के बाप के बारें में भेद खुल जाने के उपरांत षडयंत्र रच अपने द्वारा यह केश किया ताकि बाप वाली बात खत्म हो जाय एवं न्यायालय को गुमराह कर जमीन हड़पा जा सकें। 1. रामनरायण यादव 2. बचाई यादव 3. मनी यादव 4. भगत यादव 5. भोला यादव सभी पिता स्व0 धनपत यादव का जमीन ग्राम राजबॉस में है। जो धनपाल याव को बंदोबस्ती सिलसिलेवार नं0– 21 के द्वारा 1944 में भूत पूर्व जमींदार द्वारा बंदोबस्ती से प्राप्त हुई है। उक्त बंदोबस्ती द्वारा प्राप्त 10.09 ए0 भूमि पर ये लोग वर्तमान तक दखल काबिज है। परन्तु पुराना खाता सं0– 01 पुराना प्लॉट सं0– 429 के रकबा– 1.92 ए0 भूमि का नया प्लॉट 1291 दर्ज हाल सर्वे में हुआ है। इस जमीन को प्रथम पक्ष भूखन कोरवा लुटना एवं दखल कब्जा करना चाहता है। इसी की पूर्ति के लिए बपरी कोरवा का झूठा पुत्र बनकर केश करना चाह रहा है ताकि जमीन मिल जाये जो इतना आसान नही है। जमींदार द्वारा बंदोबस्ती प्राप्त होने के बाद धनपाल यादव भूमि को आबाद किये एवं काबिज हुए जब तक जमींदार प्रथा रही जमींदार के सिरिश्ते में उक्त भूमि का मालगुजारी अदा कर रसीद प्राप्त करते रहे उसके बाद जमींदारी उन्मूलन होने लगा तो जमींदार द्वारा इस भूमि का रिर्टन भी बंदोबस्तधारी के नामें दिया गया तत्पश्चात सरकार के सिरिश्ते अंचल में धनपाल यादव के सभी पुत्रों के नामें मांग पंजी के पृष्ठ सं0– 169/1 पर मांग कायम हुई। वर्ष 2015 तक मालगुजारी अदा कर रसीद सं0– JH 32 A 623386 प्राप्त किये है। 1. कामेश्वर चौधरी 2. गिरवर चौधरी 3. राजकुमार चौधरी पिता महावीर चौधरी को भू–दान यज्ञ कमिटि द्वारा खाता सं0– 01

सं0– 801 रकबा– 0.05 ए0, प्लॉट सं0– 803 रकबा– 0.28 ए0
रकबा– 7.33 ए0 है।

आवेदिका शिला देवी की वंशावली

सुकर कोरवा (मृत)

रूपन कोरवा

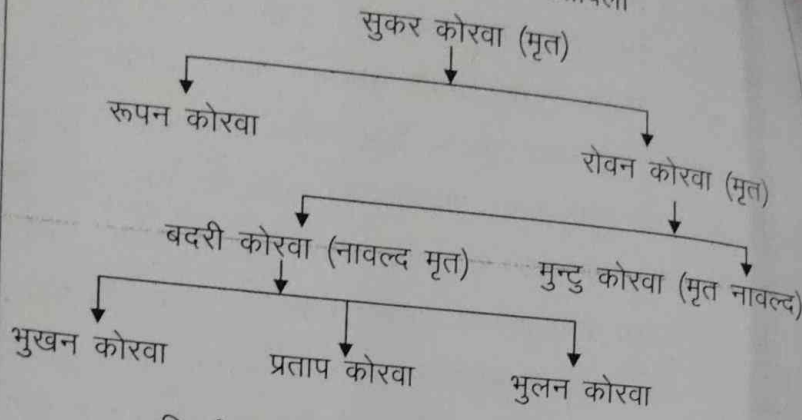

रोवन कोरवा (मृत)

बदरी कोरवा (नावल्द मृत)

मुन्दु कोरवा (मृत नावल्द)

भुखन कोरवा

प्रताप कोरवा

भुलन कोरवा

विपक्षी विश्वनाथ चौधरी व महावीर चौधरी के पुत्रगण क्रमशः अलियार व अर्जून चौधरी पिता– विश्वनाथ चौधरी एवं कामेश्वर, गिरवर व राजकुमार चौधरी पिता– महावीर चौधरी के नाम से पुराना मांग पंजी 2 के पेज नं0– 146/II पर भूदान म्यूटेशन केस नं0– 02/2008–09 के अनुसार मांग चलता है। भूमि का विवरण मांग पंजी II के अनुसार ग्राम राजबॉस थाना नं0– 2 खाता सं0– 1 प्लॉट सं0– 429 रकबा– $0.62\frac{1}{2}$ ए0 प्लॉट सं0– 446 रकबा– 1.95 ए0 कुल $2.57\frac{1}{2}$ ए0 अलियार चौधरी वगैरह पिता– विश्वनाथ चौधरी प्लॉट सं0– 429 रकबा– $0.62\frac{1}{2}$ ए0 प्लॉट सं0– 446 रकबा– 1.95 ए0 कुल $2.57\frac{1}{2}$ ए0 रैयत कामेश्वर चौधरी वगैरह पिता– महावीर चौधरी है।

उपरोक्त तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि यह हक, स्वत्व एवं अधिकार से संबधित विवाद है जो अधोहस्ताक्षरी के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

Digitally signed by Parmesh Kushwaha
Date: 2025.11.05 12:21:12 +05:30
Location: 10.93.21.247

उप समाहर्ता भूमि सुधार,
रंका।